रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2012/फाल्गुन 4, 1933

No. 76] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2012/PHALGUNA 4, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2012

सा.का.नि. 104(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 155 की उप-धारा (2) के खंड (क) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सीमा बल में जज अटर्नी जनरल (उप महानिरीक्षक), अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट), उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) और जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) के पदो पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल में जज अटर्नी जनरल (उप-महानिरीक्षक), अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट), उप जज अटर्नी जनरल (उप कमाडेट) और जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताए और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. चिकित्सक दृष्टता योग्यता.—इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, "शेप-I" से निम्नानुसार परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है :—

(i) कोड अक्षर शेप (एस.एच.ए.पी.ई.), जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए कारकों के अधीन आफिसर की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा आफिसर द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण :

एस	–	मनोवैज्ञानिक
एच	–	श्रवण शक्ति
ए	–	उपांग (अपैन्डेजेस)
पी	–	शारीरिक क्षमता
ई	–	दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी आफिसर की कार्यात्मक क्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 की कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी और कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएगे सिवाय उसके जहां कोई आफिसर सभी कारकों में श्रेणी-1 में हैं वहां उसका प्रवर्ग एस।एच।ए।पी।ई। लिखने के बजाय शेप-I लिखकर दर्शाया जा सकेगा । इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है :—

(क) कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य ।

(ख) सभी कर्त्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्त्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आंखों को श्रवण शक्ति/दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अंतर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्त्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं ।

(ग) "एस" घटक को छोड़कर, नेमी या निष्क्रिय कर्त्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडों पर और दीर्घ कर्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं ।

(घ) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्त्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य :

(ङ) कर्त्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य ।

5. **ज्येष्ठता.**—जज अटर्नी जनरल (उप महानिरीक्षक), अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट), उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) और जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) की ज्येष्ठता का अवधारण निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) अधिष्ठायी क्षमता में नियुक्त किया गया कोई आफिसर, स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त किए गए आफिसर से ज्येष्ठ होगा;

(ii) अधिष्ठायी क्षमता में किसी पद पर नियुक्त किए गए आफिसरों की ज्येष्ठता, अधिष्ठायी क्षमता में उस पद पर नियुक्ति की तारीख के अनुसार अवधारित होगी और जहां दो या दो से अधिक आफिसर उसी तारीख के अधिष्ठायी क्षमता में नियुक्त हुए हैं वहां उनकी ज्येष्ठता स्थानापन्न क्षमता में ऐसे पदों को धारण करते समय उनकी ज्येष्ठता के अनुसार अवधारित की जाएगी; और

(iii) किसी स्थानापन्न क्षमता में किसी पद पर नियुक्ति हुए आफिसरों की ज्येष्ठता, उन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन के आदेश के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

6. **सेवा की अन्य शर्तें.**—जज अटर्नी जनरल (उप महानिरीक्षक), अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट), उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) और जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) की सेवा की शर्तें, उन विषयों की बाबत जिसके लिए इन नियमों के अधीन कोई उपबंध नहीं किए गए हैं या अपर्याप्त उपबंध किए गए हैं जब तक केन्द्रीय सरकार लिखित में आदेश द्वारा या अन्यथा निर्देश दे वे समय-समय पर सशस्त्र सीमा बल के अन्य आफिसर को लागू होंगी जो तत्स्थानी रैंकों या प्रस्थिति धारण कर रहे हैं ।

7. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

8. **अधिवर्षिता.**—इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस मास के, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा :

परन्तु ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम तारीख के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा :

9. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

10. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

11. सेवा का दायित्व.—इन नियमों के अधीन उक्त पदों पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने का दायी होगा और ऐसे किसी कार्य और कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे सौंपे जाएं ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जज अटर्नी जनरल (उप-महानिरीक्षक	01* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-4, (37400-67000 रु.) धन ग्रेड वेतन 8900 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन या पुनर्नियोजन द्वारा ।	**प्रोन्नति :** ऐसा अपर जज अटर्नी जनरल (कमाण्डेट) जिन्होंने दो वर्ष श्रेणी में नियमित सेवा की है और जिसने समूह 'क' में तीन वर्ष सेवा की हो तथा चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में हो । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा । जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय हो गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन किसी उन्नयन के बिना सामान्य

प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

प्रतिनियुक्ति/आमेलन : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सशस्त्र सीमा बल सहित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ऐसे आफिसर जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री हो या समतुल्य;

(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड-4 (37400-67000 रु.) और ग्रेड वेतन 8900 रु. में सदृश पद धारण कर रहे हैं या समतुल्य और जिनके पास विधिक मामले में न्यायिक मामलों में पंद्रह वर्ष का अनुभव है; या

(ii) कोई आफिसर जो राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य है व वेतन बैंड-4 (37400-67000 रु.) और ग्रेड वेतन 8900 रु. में या समतुल्य में सदृश पद धारण कर रहे हैं और जिनके पास विधिक मामले में न्यायिक मामलों में पंद्रह वर्ष का अनुभव है; या

(iii) जिन्होंने वेतन बैंड-4 (37400-67000 रु.) और ग्रेड वेतन 8700 रु. या समतुल्य में कमांडेंट या समतुल्य की श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो और विधिक मामलों या न्यायिक मामलों से संबंधित पंद्रह वर्ष का अनुभव हो ।

टिप्पण 1 : विभागीय आफिसर, जो प्रोन्नति को सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी आफिसर द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय हो गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों पर, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के लिए

सेना/नौसेना/वायुसेना में जज एडवोकेट जनरल के विभाग में ब्रिगेडियर या समतुल्य रैंक में सशस्त्र बलों के ऐसे आफिसर जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जो एक वर्ष के भीतर रिजर्व में स्थानान्तरित होने वाले हैं, उन पर भी विचार किया जाएगा । ऐसे आफिसर को ऐसी तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिसको वे निर्मुक्त होने वाले हैं या सशस्त्र बलों से अधिवर्षिता प्राप्त करने वाले है, तत्पश्चात् वे पुनर्नियोजन पर बने रह सकेंगे (संगठन के पद में प्रतिनिर्देश अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)

चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 में होना चाहिए ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय —सदस्य 3. महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल —सदस्य 4. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से एक महानिरीक्षक —सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट)	05* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-4, (37400–67000 रु.) धन ग्रेड वेतन 8700 रु.	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
(i) 60 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (ii) 40 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन या पुनर्नियोजन द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसा उप जज अटर्नी जनरल (उपकमाण्डेंट) जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसने समूह 'क' में सोलह वर्ष सेवा की हो तथा चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में हो । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी आफिसर द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय हो गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति/आमेलन :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जिसमें सशस्त्र सीमा बल भी सम्मिलित है, के ऐसे

(11)

आफिसर जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री हो या समतुल्य;

(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड-4 (37400-67000 रु.) और ग्रेड वेतन 8700 रु. या समतुल्य में सदृश पद धारण कर रहे हैं और जिनके पास विधिक मामले/न्यायालय के मामलों से संबंधित पंद्रह वर्ष का अनुभव है; या

(ii) कोई आफिसर जो राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य है और वेतन बैंड-4 (37400-67000 रु.) और ग्रेड वेतन 8700 रु. या समतुल्य में सदृश पद धारण कर रहा है और जिनके पास विधिक मामले/न्यायालय के मामलों से संबंधित पंद्रह वर्ष का अनुभव है; या

(iii) जिसने वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) और ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य की श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और विधिक मामले/न्यायालय के मामलों से संबंधित पंद्रह वर्ष का अनुभव है; या

टिप्पण 1 : विभागीय आफिसर, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा का सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय हो गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों पर, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के लिए

सशस्त्र बलों में कर्नल या लेफ्टीनेंट कर्नल रैंक का ऐसा आफिसर जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जो एक वर्ष के भीतर रिजर्व में स्थानान्तरित होने वाला है, उन पर भी विचार किया जाएगा । ऐसे आफिसर को ऐसी तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिसको वह सशस्त्र बलों से निर्मुक्त होने वाला है या अधिवर्षिता प्राप्त करने वाला है; तत्पश्चात् वह पुनर्नियोजन पर बना रह सकेगा (संगठन के पद में प्रतिनिर्देश अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)

चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में होना चाहिए ।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल —अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल —सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय —सदस्य 4. उपमहानिरीक्षक या जज अटर्नी जनरल, सशस्त्र सीमा बल —सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट)	08* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-3, (15600–39100 रु.) धन ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता

(10)	(11)
(i) 40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रति-नियुक्ति द्वारा (ii) 60 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन या पुनर्नियोजन द्वारा	**प्रोन्नति :** सशस्त्र सीमा बल का ऐसा जज अटर्नी (सहायक कमाण्डेंट) जो छह वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों और चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में हो । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी आफिसर द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय हो गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारियों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति/आमेलन :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रो या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जिसमें सशस्त्र सीमा बल भी सम्मिलित हैं, के ऐसे आफिसर जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री हो या समतुल्य;

(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) और ग्रेड वेतन 6600 रु. में सदृश पद धारण कर रहा है; या

(ii) कोई आफिसर जो राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य है, वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) और ग्रेड वेतन 6600 रु. में सदृश पद धारण कर रहा है और जिसके पास विधिक विषयों/न्यायालय के मामलों से संबंधित पांच वर्ष का अनुभव है; या

(iii) जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) और ग्रेड वेतन 5400 रु. में सहायक कमाडेंट या समतुल्य की श्रेणी में छह वर्ष सेवा कर चुके हैं, जिनके पास विधिक कार्य/न्यायालय के मामलों से संबंधितत पांच वर्ष का अनुभव है; या

टिप्पण 1 : विभागीय आफिसर, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणता: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी आफिसर द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय हो गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों पर, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के लिए

भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा सेना/नौसेना/वायु सेना में जज एडवोकेट जनरल विभाग में मेजर या समतुल्य रैंक में निर्मुक्त या सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के आफिसरों की प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा ।

टिप्पण : सशस्त्र बलों के आफिसर जो सेवा निवृत्त होने वाले हैं या जो एक वर्ष के भीतर रिजर्व में स्थानान्तरित होने वाले हैं, उन पर भी विचार किया जाएगा । ऐसे आफिसर को ऐसी तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिसको वह सशस्त्र बलों से निर्मुक्त होने वाले हैं या अधिवर्षिता प्राप्त करने वाला है; तत्पश्चात् वह पुनर्नियोजन पर बने रह सकेंगे (संगठन के पद में प्रतिनिर्देश अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)

चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में होना चाहिए ।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल —अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल —सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय —सदस्य 4. उपमहानिरीक्षक या जज अटर्नी जनरल, सशस्त्र सीमा बल —सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. उप अटर्नी (सहायक कमांडेंट)	05* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-3, (15600–39100 रु.) धन ग्रेड वेतन 5400 रु.	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं

(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य । (ii) विधिक कार्य में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव । (iii) अधिवक्ता के रूप मे अभ्यावर्शित होने के लिए अर्हित होना चाहिए । **वांछनीय :** (1) विधि में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री । (2) सशस्त्र बलों से संबंधित विशेष विधियों के अधीन विचारण से संबंधित दो वर्ष का अनुभव ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा : **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित आफिसरों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा : (क) वे व्यक्ति जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं । (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।	लागू नहीं होता

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल —अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल —सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय —सदस्य 4. उपमहानिरीक्षक या जज अटर्नी जनरल, सशस्त्र सीमा बल —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 22/1/एसएसबी/सीएससी/वाहिनी/जे ए जी/2010/एसएफएस]

नीरज कसल, निदेशक (कार्मिक)

568 GI/12-2

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2012

G.S.R. 104(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (c) of sub-section (2) of Section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the posts of Judge Attorney General (Deputy Inspector General), Additional Judge Attorney General (Commandant) Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) and Judge Attorney (Assistant Commandant) in Sashastra Seema Bal under the Ministry of Home Affairs, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Sashastra Seema Bal Judge Attorney General (Deputy Inspector General), Additional Judge Attorney General (Commandant), Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) and Judge Attorney (Assistant Commandant) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale of pay.—The number of the posts, their classification and the pay band and grade pay-or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Medical fitness.—Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-1, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

Explanntion.—For the purpose of this rule, "SHAPE-I" means medical Category defined as under:—

(i) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following functions: -

S	—	Psychological
H	—	Hearing
A	—	Appendages
P	—	Physical Capacity
E	—	Eye-Sight

(ii) Functional capacity of an officer under each factor will be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functinnal efficiency and the numerals will be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing S1H1A1P1E1. General evaluation of these numerals is as under :—

(a) Fit for all duties anywhere.

(b) Fit for all duties but may have limitations as to type of duties and area of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing or vision of both ears or eyes.

(c) Excepting "S" factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments.

(d) Temporarily unfit for duties on account of hospitalisation or sick leave.

(e) Permanently unfit for duties.

5. Seniority.—Seniority of Judge Attorney General (Deputy Inspector General), Additional Judge Attorney General (Commandant), Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) and Judge Attorney (Assistant Commandant) shall be determined in accordance with the following principles, namely —

(i) an officer appointed in a substantive capacity, shall be senior to an officer appointed in an officiating capacity;

(ii) seniority of officers appointed to any post in a substantive capacity shall be determined in accordance with the date of appointment to that post in a substantive capacity and where two or more officers are appointed in a substantive capacity on the same date, their seniority shall be determined in accordance with their seniority while holding such posts in an officiating capacity; and

(iii) seniority of officers appointed to any post in an officiating capacity shall be determined in accordance with the order of selection for appointment to that posts.

6. Other conditions of Service.—The conditions of service of the Judge Attorney General (Deputy Inspector General), Additional Judge Attorney General (Commandant), Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) and Judge Attorney (Assistant Commandant) in respect of matters for which no provision or insufficient provision has been made under these rules, shall, unless the Central Government by and order in writing otherwise directs, be the same as are applicable from time to time to other officers of the Sashastra Seema Bal holding the cor, responding ranks or status.

7. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to the person and to other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. Superannuation.—A person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years :

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.

9. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

10. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

11. Liability of service.—Any person appointed to the said posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad and perform any work and duty assigned to him there-so.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
1. Judge Attorney General (Deputy Inspector General)	01*(2012) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Pay Band-4 (Rs 37400-67000) Plus Grade Pay of Rs 8900	Selection	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any
7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
10	11
By promotion failing which by deputation/absorption or re-employment.	**Promotion:** Additional Judge Attorney General (Commandant) with two years regular service in the grade having twenty years Group 'A' service with Medical category SHAPE-I. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors whold also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, which ever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the Commission except, where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation. **By deputation/absorption:** Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Central Armed Police Forces including Sashastra Seema Bal, having a degree in law from a recognised University or equivalent; (i) holding analogous post in the Pay Band 4 (Rs. 37,400 - 67,000) with grade pay of Rs. 8900 or equivalent on regular basis in the parent cadre or department, having fifteen years of experience in dealing with legal matters or court cases ; or (ii) an officer who is a member of the State Judicial Service holding analogous post in the Pay Band 4 (Rs. 37,400 - 67,000) with grade pay of Rs. 8900 or equivalent having fifteen years of experience in dealing with legal matters or court case ; or (iii) with two years regular srvice in the grade of Commandant or equivalent in the Pay Band 4 (Rs. 37,400 - 67,000) with grade pay of Rs. 8700 or equivalent, with fifteen years of experience in dealing with legal matters or court cases. **Note 1 :** The Departmental Officers shall not be eligible for appointment on deputation, similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same Organisation or Department shall ordinarily not exceed three years. **Note 3 :** The upper age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application. **Note 4 :** For purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except, where there has been merger of more

11

	than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. **For Ex-Servicemen deputation/re-employment.** The Armed Forces Officers in the rank of Brigadier or equivalent in the department of Judge Advocate General in Army/Navy/Air Force, due to retire or who are to be transfrred to reserve within a period of one year, shall also be considered. Such officers shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release or superannuation from the Armed Forces; thereafter they may continue on re-employment. (Re-employment up to the age of superannuation with reference to the post in the organisation.) Should be in the Medical category SHAPE-I.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee consisting of — 1. Director General, Sashastra Seema Bal —Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs —Member 3. Inspector General, Sashastra Seema Bal —Member 4. An Inspector General from other Central Armed Police Force —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6
2. Additional Judge **Attorney** General (Commandant)	05*(2012) * **Subject to variation dependent** on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Pay Band-4 (Rs. 37400-67000) Plus Grade Pay of Rs. 8700	Selection	Not applicable

7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable

10	11
(i) 60 per cent by promotion failing which by deputation. (ii) 40 per cent by deputation/absorption or re-employment	**Promotion:** Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) with ten years regular service in the grade and sixteen years Group 'A' service with Medical category SHAPE-I **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors whould also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is

less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officr prior to the 1st January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the Commission except, where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation;

By deputation/absorption:

Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or Central Armed Police Forces including Sashastra Seema Bal, having a degree in law from a recognised University or equivalent;

(i) holding analogous post in the Pay Band-4 (Rs. 37,400 - 67,000) with grade pay of Rs. 8700 or equivalent on regular basis in the parent cadre or department, having fifteen years of experience in dealing with legal matters/court cases; or

(ii) an officer who is a member of the State Judicial Service holding analogous post in the Pay Band-4 (Rs. 37,400 - 67,000) with grade pay of Rs. 8700 or equivalent having fifteen years of experience in dealing with legal matters/court case ; or

(iii) with ten years regular srvice in the grade of Pay Band-3 (Rs. 15,600 - 39,100) with grade pay of Rs. 6600, having fifteen years of experience in dealing with legal matters/court cases.

Note 1 : The Departmental Officers shall not be eligible for appointment on deputation, similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same Organisation or Department shall ordinarily not exceed three years.

Note 3 : The upper age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

Note 4 : For purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except, where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit wil extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

For Ex-Servicemen deputation/re-employment.

The Armed Forces Officers in the rank of Colonel or Lieutenant Colonel, due to reitre or who are to be transfrred to reserve within a period of one year, shall also be considered. Such officers shall he given deputation terms up to the date on which they are due for release or superannuation from the Armed Forces; thereafter they may continue on re-employment. (Re-employment up to the age of superannuation with reference to the post in the organisation.)

Should be in the Medical category SHAPE-I.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee for consisting of : 1. Director General, Sashastra Seema Bal —Chairman 2. Inspector General, Sashastra Seema Bal —Member 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs —Member 4. Deputy Inspector General or Judge Attorney General, Sashastra Seema Bal —Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6
3. Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant)	08* (2012) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Pay Band-3, (Rs. 15600-39100) Plus Grade Pay of Rs. 6600	Selection	Not applicable

7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable

10	11
(i) 40 per cent by promotion failing which by deputation. (ii) 60 per cent by deputation/absorption or re-employment.	**Promotion** : Judge Attorney (Assistant Commandant) of Sashastra Seema Bal with six years regular service with Medical category SHAPE-I. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors whold also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the Commission except, where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation. **By deputation/absorption :** Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or Central Armed Police Forces including Sashastra Seema Bal, having a degree in law from a recognised University or equivalent : (i) holding analogous post in the Pay Band-3 (Rs. 15600 - 39100) with grade pay of Rs. 6600 on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) an officer who is a member of the State Judicial Service holding analogous post in the Pay Band-3 (Rs. 15600 - 39100) with grade pay of Rs. 6600 having six years of experience in dealing with legal matters/court cases ; or

(iii) with six years regular service in the grade of Assistant Commandant or equivalent in the Pay Band-3 (Rs. 15,600 - 39,100) with grade pay of Rs. 5400. Having five years of experience in dealing with legal matters/court cases.

Note 1 : The Departmental Officers shall not be eligible for appointment on deputation, similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same Organisation or Department shall ordinarily not exceed three years.

Note 3 : The upper age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

Note 4 : For purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except, where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

For Ex-Servicemen deputation or re-employment.

By deputation or re-employment of released or retired Armed Forces Officers in the rank of Major or equivalent in the Department of Judge Advocate-General in Army/Navy/Air Force.

Note : The Armed Forces Officers due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year, shall also be considered. Such officers shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release or superannuation from the Armed Forces; thereafter they may continue on re-employment. (Re-employment up to the age of superannuation with reference to the post in the organisation.)

Should be in the Medical category SHAPE-I.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Director General, Sashastra Seema Bal —Chairman 2. Inspector General, Sashastra Seema Bal —Member 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs —Member 4. Deputy Inspector General or Judge Attorney General, Sashastra Seema Bal —Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6
4. Judge Attorney (Assistant Commandant)	05*(2012) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Pay Band-3 (Rs. 15600—39100) Plus Grade Pay of Rs. 5400	Selection	Not exceeding 35 years

7	8	9
Essential : (i) Degree in law from a recognised University or equivalent. (ii) Two years minimum experience in legal affairs. (iii) Should be qualified for enrolment as advocate. **Desirable :** (1) A post graduate degree in Law. (2) Two years' experience in dealing with trials under special laws relating to Armed Forces.	Not applicable	Two years

10	11
By direct recruitment : **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled up on deputation basis from the officers of the Central Government. (a) Persons holding analogous post on regular basis; (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7).	Not applicable

(12)		(13)
Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of :—		Not applicable
1. Director General, Sashastra Seema Bal	—Chairman	
2. Inspector General, Sashastra Seema Bal	—Member	
3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs	—Member	
4. Deputy Inspector General or Judge Attorney General, Sashastra Seema Bal	—Member	

[F. No. 22/1/SSB/CSC/Bn/JAG/2010/SFS]

NEERAJ KANSAL, Director (Pers.)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.